संख्या-35/2026/I/1254801/2026/001-71-2099-284-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 28-02-2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 लेखा शीर्षक 4210-03-105-03 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में हो रही बचत के सापेक्ष अतिरिक्त उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट/2025-26/445, दिनांक 28.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु अनुमोदित उपकरणों एवं उनके क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत उपकरण मद हो रही बचत रू0 250.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-31 लेखा शीर्षक 4210-03-105-16 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में हो रही बचत के सापेक्ष उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 लेखा शीर्षक 4210-03-105-03 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में धनराशि रू0 250.00 लाख की हो रही बचत एवं उसके सापेक्ष **एपेक्स ट्रामा सेन्टर** के विभिन्न विभागों हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची का विवरण निम्नवत् हैः-

Table-1

स्वीकृत उपकरण जो क्रय नहीं किया जाना है						क्रय न किये जाने वाले उपकरण के स्थान पर क्रय किये जाने वाले उपकरण का विवरण			
Sl. No	**Department**	**Name of Equipment**	**Qty**	**Unit Cost**	**Total Cost**	**Name of Equipment**	**Qty**	**Unit Cost**	**Total Cost**
				(Rs. in Lakh)	**(Rs. in Lakh)**			**(Rs. in Lakh)**	**(Rs. in Lakh)**
1	Oral & Maxillofacial Surgery, ATC	Instruments Set for Endoscopic Ramus Condylar Fixation	1	20.00	20.00	Orthognathic surgery instruments set	1	20.00	20.00
2	Neurosurgery	Electric Drill System	1	12.00	12.00	Electric Drill System	1	51.00	51.00
	TOTAL AMOUNT-				32.00	**TOTAL AMOUNT**			71.00
Justification for Electric Drill system is attached for revision of cost.									
अन्तर की धनराशि रू0 39.00 लाख जिसे कुल बचत की धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष समायोजित किया जाना है।									

Table-2

अवशेष बचत के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची					
Sl. No	**Name of Equipment**	**Qty**	**Unit Cost**	**Total Cost**	**Justification**
			(Rs. in Lakh)	(Rs. in Lakh)	
1	C-Arm	1	130.00	130.00	Required for 2nd O.T. of Orthopedic department in ATC

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	Neurobio feed back system	1	41.00	41.00	Required for Advanced Skill Lab
3	Multipara Monitor	10	4.00	40.00	Required for newly established 10 private wards
	Total			211.00	
Total of Table (1+2)= Rs.39 Lakh+ Rs. 211.00 Lakh = Rs. 250.00 Lakh					
Total Saving			Cost of Equipment to be purchased against saving		
Rs. 250.00 Lakh			Rs. 250.00 Lakh		

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं निदेशक, संस्थान की होगी।
2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
3. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
4. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।

3- उक्त उपकरणों के क्रय पर होने वाला व्यय शासनादेश संख्या-65/2025/I/1022122/2025/001-71-2099-284-2021, लखनऊः दिनांक-11-07-2025 द्वारा अवमुक्त धनराशि से हो रही बचत के सापेक्ष किया जायेगा। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-35/2026/I/1254801/2026/001-71-2099-284-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।